उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या– 22/2021

राकेश गौतम बनाम् राज्य एवं गौवर्धन मुण्डा वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
11-03-2022	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी राकेश गौतम, पिता–स्व० प्रदीप कुमार दुबे, ग्राम–भुरकुण्डा, पो०–भुरकुण्डा, थाना–पतरातू, जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या 25/2016–17 गौवर्धन मुण्डा वगै० बनाम् प्रदीप कुमार दुबे में दिनांक 18.02.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा निमी, थाना न०–51 थाना पतरातु जिला रामगढ़ के खाता न0–41 प्लॉट न0–44 रकवा–0.91 ए0 मध्ये रकवा 0.4550 ए0 भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा निमी, थाना न०–51 थाना पतरातु जिला रामगढ़ के खाता न0–41 प्लॉट न0–44 रकवा–0.91 ए0 मध्ये रकवा 0.4550 ए0 भूमि सर्वे खतियान बखौरी मुण्डा एवं कलुवा मुण्डा के नाम से आदिवासी रैयती खाते की भूमि है, कौम मुण्डा दर्ज है। द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा करते है। अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि केवाला के आधार पर दावा करते है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा निमी पंजी II के पृष्ट संख्या–32/2 पर प्रदीप कुमार दुबे के नाम से जमाबंदी कायम है। तथा रसीद निर्गत होता है। अपीलार्थी के द्वारा बतलया गया है की निबंधित केवाला के द्वारा उक्त भूमि प्राप्त हुआ है। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी,	

पतरातू के द्वारा दाखिल खारिज से जमाबंदी कायम हो कर रसीद निर्गत किया जा रहा है। लेकिन अपीलार्थी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। प्रथम पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश यथावत् रखने की कृपा की जाय।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। उक्त भूमि पर भू–वापसी वाद संख्या–431/86 T.R.- 64/89 न्यायालय कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर के द्वारा आवेदन खारिज किया गया। उक्त आदेश में आवेदन खारिज करने का कारण कागजात दाखिल नही करना बताया गया है। लेकिन गैर आदिवासी की कायम जमाबंदी की वैधता के संबंध में किसी भी प्रकार का आदेश पारित नही किया गया है। अपीलार्थी के अनुसार भूमि का इस्तिफा 30.09.1942 को भूतपूर्व जमींदार को किया गया, लेकिन जमींदार के द्वारा उक्त भूमि का केवाला (बन्दोबस्ती) गैर आदिवासी को कब किया गया स्पष्ट नही है। उनके द्वारा ना तो इस्तिफानामा की सत्यापित प्रति और ना ही प्रथम केवाला की प्रति प्रस्तुत किया गया, यदि भूमि का इस्तिफा एवं जमींदार के द्वारा भूमि की बन्दोबस्ती एक ही कृषि वर्ष में निष्पादित किया गया है तो नियमानुकूल नही है। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि गैर आदिवासी के जमाबंदी किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश से खुली है अर्थात C.N.T. Act का उलंधन किया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या 25/2016–17 गौवर्धन मुण्डा वगै० बनाम् प्रदीप कुमार दुबे में दिनांक–18.02.2021 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46–4(ए) के तहत् पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
11.3.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.08.08 12:39:09 +05:30
Location: 192.168.0.34

माधवी मिश्रा
11.3.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।